श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

थाना गंज:-एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम के अभियोगों मे वांछित चल रहा अभियुक्त फरहत अहमद जमाली गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम में वा ॅछित चल रहे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13-02-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त फरहत अहमद जमाली पुत्र लईक अहमद जमाली निवासी मौहल्ला हाफिज साहब की मजार बाजोडी टोला थाना गंज, रामपुर को बाजोडी टोला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम के सम्बंध में थाना गंज, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-832/19 धारा-147,148,149143,353,186,188,336,436,427,307,120बी भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना गंज, रामपुर तथा थाना कोतवाली, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-655/19 धारा 147,148,149,143,353,186,188,332,333,435, 336,427,325,307,302,395,120बी भादवि व 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहा था। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 द्वारा की जा रही है।

थाना सिविल लाइनः- लाठी डण्डों, ईंट पत्थरों व अवैध असलाहों से लैस होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से हमलावर होने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 12-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित शाहबाद गेट पर करीम होटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ 02 पक्षों के 8-10 व्यक्ति लाठी डण्डों, ईंट पत्थरों व अवैध असलाहों से लैस होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से हमलावर हो रहे थे। पुलिस द्वारा मौके पर पहु ॅचकर झगडा रोकने एवं दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया तो दोनों पक्ष पुलिस पर भी हमलावर हो गये और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0-37/21 धारा 147,148,149,307,336,353,186,341,504,506 भादवि व 07 सीएलए एक्ट बनाम रईस आदि 06 नामजद व कुछ अज्ञात पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 13-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को शाहबाद गेट करीम होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-
01-रहीस पुत्र कलुवा निवासी मंसूरपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
02-शाहनवाज पुत्र शफी अहमद निवासी रफत कालौनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन, रामपुर।
03-शहनावाज उर्फ मज्जू पुत्र अय्यूब निवासी शादी की मडैया थाना सिविल लाइन, रामपुर।

कार्यवाहीः-
मु0अ0सं0-37/21 धारा 147,148,149,307,336,353,186,341,504,506 भादवि व 07 सीएलए एक्ट के अन्त्तगत कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में एंटी रोमियों स्क्वाड द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जा रहा है जागरूक-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 13-02-2021 को प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड, रामपुर सुश्री कंचन टोलिया मय टीम द्वारा नगर क्षेत्र के शाहबाद गेट, अंबेडकर पार्क, ज्वालानगर आदि भीड-भाड वाले स्थानों, स्कूलों में तथा थानों पर गठित एंटी रोमियों टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बों, मौहल्लों, गांवों, स्कूलों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वूमेन पावर लाइन-1090, समस्त थानों पर बनी हुई महिला हेल्प डेस्क, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर-181, यू.पी.-112 के बारे में जानकारी दी जा रही है तथा उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा जा रहा है।

थाना समाधान दिवस में सुनी गयी फरियादियों की समस्याएं-

आज दिनांक 13-02-2021 को जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें समस्त थानों पर कुल 28 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 08 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष 20 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर, श्री शगुन गौतम द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निर्देशन में किया गया महिला थाना, रामपुर में परिवार परामर्श केन्द्र का आयोजन

दिनांक 13-02-2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निर्देशन में महिला थाना, रामपुर में परिवार परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया जिसमें पति-पत्नी के विवादों में काउंसलिंग करायी गयी। काउंसलिंग में कुल 29 प्रकरण समिति द्वारा सुना गया, जिनमें से 06 प्रकरणों का निस्तारण, 02 प्रकरणों में समझौता कराकर पुनः घर बसाया गया, 03 प्रकरणों में मुकदमें की संस्तुति की गयी तथा 18 प्रकरणों में अग्रिम तिथि नियत करके समझौते का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान रीना सिंह प्रभारी निरीक्षक महिला थाना रामपुर, डा0 शहनाज रहमान, श्री फजल शाह, एडवोकेट सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।